

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 375] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 1978/श्रावण 13, 1900
No. 375] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 1978/SRAVANA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1978

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

का. आ. 489(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 91-सीमा-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1963 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में,—

स्तंभ 1 में "सीमा शुल्क कलेक्टर (अपील) हैदराबाद" शब्दों के स्थान पर "सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर (अपील), हैदराबाद" शब्द रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 150/फा. सं. 437/7/78-सी. व. 4]

एस. बसु, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 4th August, 1978

NOTIFICATION

CUSTOMS

S.O. 489(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 91-Customs, dated 1st March, 1963, namely :—

In the Table below the said notification, in column 1, for the words, "Appellate Collector of Customs, Hyderabad", the words "Appellate Collector of Customs and Central Excise, Hyderabad" shall be substituted.

[Notification No. 150/F. No. 437/7/78-Cus. IV]

S. BASU, Under Secy.